उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल

सं. पी/सीएमपी/चिकित्सा/आगरा दिनांक 19/08/2020

संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार

उत्तर मध्य रेल द्वारा आगरा मंडल पर 01 (एक) संविदा चिकित्सक General Duty Medical officer एवं 01 (एक) संविदा चिकित्सक Gynaecology/GDMO को एक वर्ष की अवधि के लिये करार के आधार पर पूर्णकालिक तौर पर नियुक्ति करने हेतु निम्नलिखित विवरण के आधार पर ओपन मार्केट के चिकित्सकों एवं केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /भा0रे0चिकित्सा सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्तियों की संख्या–01

क्र सं	विशेषता	पदों की संख्या	स्थान
01	(CMP) General Duty Medical Officer	01	स्वास्थ्य इकाई मथुरा
02	(CMP)Gynaecology/GDMO	01	मंडल अस्पताल आगरा
	कुल	02	

आरक्षण निम्न प्रकार से होगे–417

अनुसूचित जाति–निल, अनुसूचित जनजाति–निल, अन्य पिछडा वर्ग–01 सामान्य–01 कुल –02

प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान–

इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रत्यक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं चिकित्सीय परीक्षण	दिनांक	समय	स्थान
	10–09–2020	10–00 बजे प्रातः	गोवर्धन हॉल, डीआरएम ऑफिस, आगरा कैंट ।

1–अभ्यर्थी अपना आवेदन दो प्रतियों में दिनांक 10/09/2020 को प्रातः 10.00 बजे तक निर्धारित संलग्न प्रारूप पर उक्त स्थान पर प्रस्तुत करेंगे।

2–यदि किसी कारणवश सम्बन्धित कोटियों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निर्धारित तिथियों पर संपन्न नहीं हो पाता है तो उसका साक्षात्कार अगले कार्य दिवस पर लिया जायेगा। तद्नुसार अभ्यार्थियों को दो दिन रूकने हेतु स्वयं की व्यवस्था करके आना चाहिए।

आवश्यक सूचना–

1–करार के आधार पर नियुक्त डॉक्टर आधिकारिक रूप से रेलवे क्वार्टर के हकदार नहीं होगें, फिर भी आवासों की उपलब्धता पर उन्हें आवास की व्यवस्था की जा सकती है। रेलवे के साथ करार के दौरान उनकी ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश उनके चयनित हो जाने पर नियुक्ति पत्र के साथ दिया जायेगा।

लगातार .... पेज–2

19/8/2020

Ashok sharma

2–इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन सभी प्रमाणपत्रों एवं अंकपत्रों की मूल एवं सत्यापित छायाप्रति के साथ संलग्न प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से भरकर साथ लायें । साक्षात्कार के लिए कोई दैनिक महंगाई/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(3) चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में नियुक्ति का प्रस्ताव विभिन्न स्थानों पर स्थित चिकित्सालयों/स्वस्थ्य ईकाइयों की रिक्ति ''जहाँ है वहाँ के आधार पर'' की जायेगी। प्रशासनिक आवश्यकतानुसार नियुक्ति स्टेशन में परिवर्तन के अधिकार को प्रशासन सुरक्षित रखता है।

(4) अधिसूचना की प्रति उत्तर मध्य रेलवे के वेबसाइट www.ncrindianrailways.gov.in>aboutus>Division>Agra Division>Medical से डाउनलोड की जा सकती है।

(5) सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पैनल अनुमोदनोपरांत उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट www.ncrindianrailways.gov.in>aboutus>Division>Agra Division>Medical पर पैनल उसी दिन अपलोड कर दिया जायेगा। उपयुक्त पाये गये उम्मीदवार को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पत्र/टेलीफोन/एसएमएस के द्वारा उत्तर मध्य रेलवे कार्मिक शाखा मंडल कार्यालय आगरा में रिपोर्ट करने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना दी जायेगी। जो उम्मीदवार निर्धारित समय या तिथि पर रिपोर्ट नही करेंग वे अपना संविदा का अवसर खो देंगें और उनके स्थान पर अगले इम्पैनल्ड अभ्यर्थी को बुला लिया जायेगा।

(6) चयनित अभ्यर्थी को ज्वाइंनिंग से पूर्व चिकित्सा परीक्षण कराना होगा एवं साथ ही कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेन्ट जो कार्मिक शाखा द्वारा नोटराइज्ड रहेगा, भरना होगा। इस संबंध मे दिशा–निर्देश अभ्यर्थी के ऑफर ऑफ इंगेजमेन्ट मे उल्लेखित कर दिया जायेगा।

ओपन मार्केट के डाक्टरों को देय मानदेय– यदि सरकारी आवास उपलब्ध नही काराया जाता है तब रु. 75000/– जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर प्रति माह एवं रु. 95000/– स्त्री रोग विशेषज्ञ (स्पेशल ड्यूटी) /जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो हाउसरेंट एलाउंस एवं लाइसेंस फीस के बराबर की रकम कटौती की जायेगी।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भ0रे0चिकि0सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को देय मानदेयः– यदि सरकारी आवास उपलब्ध नही कराया जाता है तब रुपये 46000/–(बशर्ते कि मानदेय +सेवानिवृत्त डाक्टरों द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पेंशन उनके अंतिम पे ड्रान से अधिक नही होना चाहिये) । यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो ग्रुप 'ए' कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को देय हाउसरेंट एलाउंस और रेलवे आवास के लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती सीएमपी के मासिक मानदेय से की जायेगी।

ओपन मार्केट के चिकित्सकों हेतु आयुः–उम्मीदवार की आयु दिनांक 10/09/2020 को 53 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए किन्तु अ0पि0व0 के लिये तीन वर्ष की छूट है।

केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /भा0रे0चिकि0 सेवा रेलवे के सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु आयुः–उम्मीदवार की आयु दिनांक 10/09/2020 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लगातार .... पेज–3

MY 19/8/2020

Ashok sharma

ओपन मार्केट के चिकित्सकों हेतु नियम एवं शर्ते :– डॉक्टरों का अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिये होगा, जो प्रशासनिक जरूरत के आधार पर सीएमपी के कार्य क्षमता के आधार पर 12 (बारह) वर्ष तक बढाया जा सकता है। इसके साथ ही इन डॉक्टरों की सेवायें एक वर्ष की अवधि से पूर्व भी 15 दिन के नोटिस द्वारा दोनों में से किसी भी पक्ष की तरफ से समाप्त की जा सकती है। रेलवे प्रशासन द्वारा 15 दिनों की नोटिस की परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से 15 दिन के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। करार के आधार पर इन डॉक्टरों द्वारा दी गयी सेवायें एक वैकल्पिक व्यवस्था है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के मामले में इस अवधि को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा। इससे रेल सेवा में नियमित अथवा समाहित होने का अधिकार भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी । प्राइवेट प्रैक्टिस की भी अनुमति नहीं हैं।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /भा0रे0चिकि0सेवा रेलवे के सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु नियम एवं शर्ते:– सेवानिवृति डॉक्टरों का सीएमपी के रूप में अनुबन्ध अधिकतम 02 (दो) टर्म के लिए होगा और प्रत्येक टर्म की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रत्येक टर्म के लिए नया अनुबन्ध किया जायेगा । अनुबन्ध की तिथि से अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष अथवा कम होगी । अनुबन्ध की अवधि किसी भी आधार पर आगे नहीं बढाई जायेगी यद्यपि रेलवे प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार /भा0रे0चिकि0सेवा रेलवे के सेवानिवृत चिकित्सकों को दूसरी बार नई संविदा हेतु नियोजन करने हेतु विचार करे। यह अनुबन्ध पूर्णतः निविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए या नियमित डॉक्टर के ज्वाइन करने तक अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार भा.रे.चिकि.से. (रेलवे) के सेवानिवृति–चिकित्सकों के पास अपनी सेवाओं. को निरन्तर करने अथवा टर्म को स्वतः आगे बढ़ाने संबंधी कोई दावा इत्यादि करने का किसी भी तरह का अधिकार नही होगा। संविदा की वैधता की अवधि में संविदा के आधार पर डॉक्टरों को संविदा अवधि में किसी समय यह छूट होगी कि वह अपने कैरियर की बेहतरी के लिए अथवा अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर संविदा खत्म कर सकता है। रेलवे प्रशासन भी संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर डॉक्टरों को बिना किसी कारण को परिभाषित किए संविदा की समाप्ति कर सकता है। यदि कोई सीएमपी मानसिक या शारीरिक रुप से अक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जायेगी।

प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नही है।

MY 19/8/2020
(मनोज दुबे)
मंडल कार्मिक अधिकारी/आगरा–।।
उत्तर मध्य रेलवे,आगरा

Ashok sharma

ओपन मार्केट के चिकित्सकों एवं केन्द्र सरकार/राज्य सरकार / भा.रे.चिकि.सेवा. रेलवे के सेवानिवृति चिकित्सकों हेतु आवेदन का प्रारूप ।

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफीसर एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ (स्पेशल ड्यूटी)/जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफीसर हेतु आवेदन

नवीनतम पासपोर्ट साईज स्वयं प्रमाणित फोटो

(कृप्या स्पष्ट लिखें) ....

मण्डल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)
उ०म०रे० आगरा।

1.नाम स्पष्ट अक्षरों में---

2.पिता/पति का नाम स्पष्ट अक्षरो में -----------------------------------

3.स्थाई पता ---

4.पत्राचार का पता ---

5.मोबाइल नं0 ---

6.जन्म तिथि ------------------दिनांक 10/09/2020 को आयु ....दिन...........माह............वर्ष

7.किस कोटि से हैं लिखें अ.पि.व./सामान्य..

8.सेवानिवृति तिथि केवल सेवानिवृत्त चिकित्सकों हेतु ------------------------------

9.राष्ट्रीयता ------------------------------

10.विज्ञापन में छपे स्टेशनों पर नियुक्ति हेतु अपनी इच्छा को वरीयता कम में इंगित करें:-

1----------------2----------------

11.क्या आप किसी रेलवे में संविदा चिकित्सक के रूप में कार्य कर चुके है यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें

केवल ओपेन मार्केट के चिकित्सकों द्वारा भरा जाये ------------------------------

12.शैक्षिक /व्यवसायिक योग्यता ---

परीक्षा	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय का नाम	अटेम्पट्स की संख्या	प्राप्तांकों का प्रतिशत
हाई स्कूल /समकक्ष				
इण्टरमीडिएट/समकक्ष				
एमबीबीएस पार्ट-I				
एमबीबीएस पार्ट-II				
एमबीबीएस पार्ट-III				
एमबीबीएस पार्ट-IV				

लगातार पेज-2

Ashok sharma

M4
19/8/2020

परीक्षा	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	मेडिकल कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम	अटेम्पट्स की संख्या	प्राप्तांकों का प्रतिशत
एमबीबीएस अंको का संपूर्ण प्रतिशत				
पीजी(एमडी / एमएस / डिप्लोमा सभी पीजी के समतुल्य माने जायेंगे। कृपया डिसीप्लीन अंकित करें।				

13.चिकित्सा परिषद की पंजीकरण संख्या...प्रदेश ....
14.अनुभव यदि कोई हो...

15.निम्नलिखित प्रमाण –पत्रों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है सत्यापित प्रतियों के साथ मूल प्रति भी लाना आवश्यक है ।

XVII) हाल ही में पासपोर्ट आकार का एक फोटो।
XVIII) जन्मतिथि के लिय प्रमाण–पत्र हाईस्कूल / समकक्ष का प्रमाण –पत्र
XIX) सामान्य ड्यूटी अभ्यार्थियों द्वारा एमबीबीएस की डिग्री एवं अंक पत्र सभी भाग तथा यदि कोई अन्य उच्चतर मेडिकल योग्यता हो तो उसकी डिग्री प्रमाण–पत्र ।
XX) इन्टर्नशिप प्रमाण–पत्र
XXI) भारत / राज्य के चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रेशन संख्या
XXII) हाउस जॉब प्रमाण –पत्र ,यदि हो तो।
XXIII) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
XXIV) सेवानिवृत्त रेलवे डाक्टर कृपया सत्यापित पीपीओं की प्रति संलग्न करें।

एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि आवेदन में दिये गये विवरण सत्य, पूर्ण तथा मेरी जानकारी व विश्वास से सही हैं। मैं यह जानता / जानती हूँ कि यदि यहॉ दी गयी जानकारियों में से कोई भूल से गलत हो या मैंने कुछ छिपाया हो तो मेरी सेवाऐं समाप्त कर दी जायेंगी और मेरे विरूद्ध सिविल आपराधिक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं यह जानता / जानती हूँ कि मैं इस साक्षात्कार के लिये किसी भी यात्रा / मंहगाई भत्ते का हकदार नहीं हूँ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक ....

नोट– यह आवेदन साक्षात्कार के समय दिया जा सकता है। साक्षात्कार तीन अधिकारियों द्वारा लिया जायेगा तथा आवेदन अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा, जिस पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

MY
19/8/2020

Ashok sharma